



THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN
HIGH COURT BUILDINGS

JODHPUR – 342001

e-mail : Secretary @ barcouncilofrajasthan.org
website: www.barcouncilofrajasthan.org

Office : 0291- 2545066

Secy : 2545251 (Fax)

Secy. Resi. : 0291-2701162

Secy.Mob. : 94141-32427

No.BCR/BA/Verification/2017/5196

Dated: 31-08-2017

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष/सचिव,

राज्य की समस्त बार संघ

मान्यवर जी,

आपको यह सूचित किया जाता है कि ऐसा अधिवक्तागण जिन्होंने “Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015” के अन्तर्गत एक बार नवीनीकरण/सत्यापन हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नियम 9.1 में दर्शायी गई समय सीमा अनुसार ही पुनः आवेदन करना होगा, जो इस प्रकार से है :-

9.1 किसी अधिवक्ता को इन नियमों की धारा 13 के अन्तर्गत अथवा अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम के अंतर्गत निर्गमित तथा नवीकृत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, पांच वर्ष के लिए वैध होगा तथा इसके प्रत्येक पांच वर्ष में, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की वैधता अथवा इसके सत्यापन की वैधता के समाप्त होने के छः माह पूर्व अग्रिम रूप से सत्यापन का आवेदन दाखिल करके नवीकृत कराना होगा।

उक्त नियमों के तहत नवीनीकरण/सत्यापन हेतु आवेदन कर चुके अधिवक्ताओं के पांच वर्ष पूर्ण होने की तिथि, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध अधिवक्ताओं के नवीनीकरण की सूची में उनके नाम के आगे दर्शायी गई है।

सूचनार्थ प्रेषित हैं ।

भवदीय,

(राजेन्द्रपाल मलिक)

सचिव

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान